विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-26/16

मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लि., — आवेदक
चौथी मंजिल, मेट्रो टॉवर,
विजय नगर, ए.बी. रोड,
इंदौर म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.), — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
देपालपुर, इंदौर म.प्र.

आदेश

(दिनांक 11.04.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0338716 मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लि. देपालपुर विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. देपालपुर, इंदौर में पारित आदेश दिनांक 10.08.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–26/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 6.2.2017 को सुनवाई के दौरान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक के परिसर में लगा हुआ मीटर अकस्मात पिछले माहों की तुलना से अधिक खपत दर्ज कर रहा है जिसकी सूचना उनके द्वारा अनावेदक के कार्यालय में सहायक यंत्री, देपालपुर को दी गई। (ओई–1) यह मीटर लगातार अधिक खपत दर्ज करता रहा तथा मीटर ने मार्च 2015 से खपत दर्ज करना बंद कर दिया।

04 अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त बंद मीटर नवंबर 2015 में बदला गया। अनावेदक द्वारा माह मई, 2015 से नवंबर 2015 तक की औसत खपत का बिल जनवरी, 2015 से मार्च, 2015 तक की अवधि में दर्ज औसत खपत युनिट 3000 प्रतिमाह के हिसाब से जारी किया जाता रहा। जबकि आवेदक द्वारा इन माहों में मीटर द्वारा अधिक खपत दर्ज होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

05 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में भी उनके परिसर में जनवरी 2013 से नवंबर 2014 तक 3000 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से एवरेज बिल किया गया था जिसकी शिकायत

करने पर यह पाया गया था कि बिना मीटर रीडिंग लिये औसत बिल किया जा रहा था जिसे कि संशोधित कर उन्हें रूपये 1,68,011/– की क्रेडिट जनवरी, 2015 में दी गई।

06 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके यहॉ नवंबर, 2015, फरवरी, 2016 एवं अप्रैल 2016 में लगातार तीन बार मीटर बदला गया तथा इन मीटरों के बदलने का कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया। आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया कि जनवरी 2015, फरवरी 2015 एवं मार्च, 2015 में लगातार मीटर के द्वारा दर्ज खपत के औसत के अनुसार अप्रैल, 2015 से नवंबर, 2015 तक के जारी बिलों को संशोधित किया जाना म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 के परिप्रेक्ष्य में उचित एवं न्यायसंगत होगा।

07 उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा मीटर तेज चलने की कोई भी शिकायत देपालपुर कार्यालय में नहीं की गई और न ही मीटर परीक्षण हेतु फीस जमा कराई गई जिसके कारण मीटर परीक्षण भी नहीं कराया जा सका।

08 अनावेदक द्वारा बताया गया कि मीटर बंद होने की अवधि अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 के बीच की गई औसत खपत क्रमशः 3020, 1800 एवं 3015 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर बिल किया जाना उचित है क्योंकि जनवरी 2015 से मार्च 2015 के बीच लगभग यही औसत खपत प्रतिमाह आवेदक द्वारा की गई है। इसलिए किसी प्रकार की छूट अथवा क्रेडिट दिया जाना संभव नहीं है।

09 उक्त प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के प्रावधान अनुसार निम्न जानकारी अनावेदक के चाही गई।

अ जनवरी 2015 से मार्च 2017 तक की मीटर डायरी एवं मीटर रीडिंग का विवरण।

ब उक्त अवधि का बिलिंग स्टेटमेंट।

स जनवरी 2013 से नवंबर 2014 तक क अवधि में आवेदक के विरूद्ध औसत बिल किस आधार पर किया गया तथा बाद में बिल को संशोधित कर अधिक राशि का समायोजन उनके बिल में दिया गया, इस संबंधी दस्तावेज।

द उक्त अवधि में 3000 यूनिट को प्रतिमाह में औसत कितनी यूनिट के लिए संशोधित किया गया तथा कितनी राशि का समायोजन किस माह आवेदक को दिया गया।

10 अनावेदक द्वारा दिनांक 6.4.2017 को उपस्थित होकर उपरोक्त जानकारी के दस्तावेज, मीटर डायरी की प्रतिनिधि एवं बिलिंग स्टेटमेंट की प्रतिनिधि प्रस्तुत की गई। (ओई–2 एवं ओई–3)

11 उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदक का डिफेक्टिव मीटर को बदलने में अत्यधिक विलंब किया तथा अप्रैल, 2015 से नवंबर 2015 तक औसत खपत क्रमशः 3020, 1800 एवं 3015 यूनिट के अनुसार इस अवधि में विभिन्न माहों हेतु बिल दिया जाता रहा।

12 नवंबर 2015 में मीटर बदला गया जिसके पश्चात दिसंबर 2015 में 1169, जनवरी 2016 में 856 एवं फरवरी 2016 में 903 यूनिट खपत दर्ज हुई। फरवरी 2016 में पुनः मीटर बदला गया परन्तु मीटर

बदलने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया। इस मीटर द्वारा क्रमशः मार्च 2016 में 1742, अप्रैल 2016 में 1011 एवं मई 2016 में 2425 यूनिट खपत दर्ज हुई। अनावेदक द्वारा मीटर रीडिंग डायरी में दिनांक 24.4.2016 को पुनः मीटर बदलना दर्शाया गया, जिसके पश्चात जून, 2016 में 0 यूनिट जुलाई, 2016 में 2288 यूनिट एवं अगस्त, 2016 में 1417 यूनिट खपत दर्ज की गई।

13 उपरोक्त प्रकरण के निराकरण करने से पूर्व विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 (ब) का अवलोकन किया जो निम्नानुसार है –

8.35 (ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है।

14 इस कंडिका में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि मीटर त्रुटिपूर्ण होने पर पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि मापयंत्र संयोजन तीन माह त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो नया मीटर लगाये जाने के बाद तीन माहों में दर्ज खपत की औसत के आधार पर किया जा सकता है।

15 चूंकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा माह जनवरी 2015 से अप्रैल 2015 तक मीटर द्वारा अधिक खपत दर्ज करने की शिकायत (ओई–1) अनावेदक के कार्यालय में की थी। अतः नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से इन माहों का औसत खपत लिया जाना उचित नहीं होगा।

16 अनावेदक का यह कहना कि आवेदक द्वारा परीक्षण फीस जमा न कराने के कारण मीटर का परीक्षण नहीं किया गया न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि यह अनावेदक का कर्त्तव्य था कि वे आवेदक को परीक्षण फीस जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट जारी करते, परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि इस बात की पुष्टि हो सके कि परीक्षण हेतु डिमाण्ड नोट जारी के करने के बाद आवेदक द्वारा परीक्षण शुल्क जमा नहीं की गई।

17 अनावेदक द्वारा नवंबर, 2015 से अप्रैल 2016 क अवधि के बीच में आवेदक के परिसर में स्थापित मीटरों को तीन बार बदला गया परन्तु मीटर बदलने का कोई भी कारण का उल्लेख नहीं किया जाना पाया गया। इन बदले गये मीटरों द्वारा खपत इतनी नहीं दर्ज की गई जितनी की अनावेदक द्वारा आवेदक को अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 तक औसत खपत का बिल जारी किया गया है।

18 नवंबर 2015 में मीटर बदलने के बाद दिसंबर 2015, जनवरी 2016 एवं फरवरी 2016 में औसत खपत 936 यूनिट दर्ज हुई। फरवरी 2016 में मीटर बदलने के पश्चात मार्च से लेकर मई 2016 तक औसत खपत 1726 यूनिट दर्ज हुई एवं अप्रैल 2016 में मीटर बदलने के पश्चात 1235 यूनिट औसत खपत दर्ज हुई।

19 उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक के यहॉ तीनों मीटर बदले जाने पर औसत खपत 976,, 1726 और 1235 यूनिट खपत दर्ज होना पाया गया। अतः नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से यह उचित होगा कि नवंबर 2015 के पश्चात स्थापित मीटरों से अगले माहों में दर्ज खपत की औसत खपत 1312 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर आवेदक को अप्रैल, 2015 से नवंबर 2015 तक दिये गये विद्युत देयकों को संशोधित किया जाए।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक 1312 यूनिट प्रतिमाह औसत खपत के आधार पर अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 तक की अवधि में दिये गये विद्युत देयकों को संशोधित करें। आवेदक द्वारा जमा की गई अधिक राशि का समायोजन उनक आगामी विद्युत देयकों में किया जाए।

20 फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

21 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

22 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल